

169

43

माननीय राजस्व मण्डल खातियर कैम्प रोवा म०प्र०॥



A-207

156
8-8-13

अधिवक्ता श्री अरुण प्रताप सिंह
वाराणसी
दि. 8-8-2013

R-3254-II/13

निगरानी प्रकरण क्रमांक -----/2013

- 1- नवइया पिता शिवदत्तल ओहर निवासी ग्राम चंदवाही तहसील सिहावल, जिला सीधी म०प्र०
 - 2- ददन पिता शिवदत्तल ओहर निवासी ग्राम चंदवाही तहसील सिहावल, जिला सीधी म०प्र०
- निगरानीकर्ता / गैरनिगो
बनाम,
- 1- अरुण सिंह तनय कृष्ण प्रताप सिंह निवासी ग्राम देवगवां तहसील सिहावल जिला सीधी म०प्र०
 - 2- कृष्ण प्रताप सिंह तनय विष्णुबहादुर सिंह & पुनरीक्षण के लम्बाकाल में मृतक किन्तु वारिश पक्षकार नहीं बनाये गये & ----- गैर निगरानीकर्ता / निगोकर्ता

पुनरीक्षण विरुद्ध आदेश न्यायालय श्रीमाच अपर कलेक्टर महोदय सीधी, जिला सीधी म०प्र० प्रकरण क्रमांक - 11/निगरानी/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 11.6.2013,

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भू रा०सी०१९५९

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नांकित है :---

- 1/ यहकि अधिवस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नाधीन आदेश विधि प्रक्रिया तथ्य एवं सहज न्याय के सिद्धांत के प्रतिकूल होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।
- 2/ यहकि अधिवस्थ न्यायालय के समक्ष निगरानी के लम्बाकाल में निगरानीकर्ता क्रमांक -2 के रूप में अंकित पक्षकार कृष्ण प्रताप सिंह तनय लालकिष्ण

(Signature)
Sub
EC

(43)
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R3254-113 जिला- सीधी

नयन्या मीटर विरुद्ध झरुण लोड

(1)	(2)	(3)
15-1-19	<p>1. आवेदक की ओर से श्री. अनुपदेव पांडे अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी कलेक्टर/ अपर कलेक्टर, जिला- सीधी के प्रकरण क्रमांक 111/12/11/12 में पारित आदेश दिनांक 11-06-2013 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 28-3-19 को कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;">सदस्य</p>	